निविदा

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवहन अनुभाग –1 देहरदून के शासनादेशों आलोक में वर्ष 2017–18,2018–19 हेतु जनपद की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत आउट सोर्सिंग के ध्यम से (विभागों के आवश्यक्तानुसार)सभी विभागों के लिए राजकीय कार्यो हेतु वाहन मय वाहन चालक पूर्ण रख रखाव व मरम्मत सहित प्रति माह की दर से किराये पर लिये जाने हेतु निवादायें आमंत्रित की ाती है।

अतः दि0 07–03–2018 को समय पूर्वान्ह 12.00 तक मुहरबन्द लिफाफे से निविदायें जिलाधिकारी जरात कक्ष नैनीताल में निर्धारित प्रारूपों में डाली जाएगी तथा उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे वादादाताओं की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा खोली जाएगी । निविदा प्रारूप जिसमें विवरण एवम् र्तो का उल्लेख है को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06–03–2018 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे तक निःशुल्क (नाजरात कक्ष) जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल से प्राप्त किये जा सकते हैं । इच्छुक व्यक्ति निविदायें प्रारूप–1 में मुहरबन्द लिफापे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से जिलाधिकारी (नाजरात कक्ष) नैनीताल के नाम से प्रेषित कर सकते हैं तथा दस्ती भी जिलाधिकारी (नाजरात कक्ष) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है–

1–निविदादाता का सेवाकर/जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है । पंजीयन संख्या अंकित करनी होगी ।
2–निविदा स्वीकृत होने पर निविदा में उल्लिखित दर पर ही वाहन उपलब्ध कराना होगा ।
3–निविदा की निर्धारित तिथि एवंम समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा ।
4–निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल जमानत/धरोहर धनराशि 10000–00(दस हजार मात्र)का एफ0डी0आर0जो जिलाधिकारी नैनीताल के नाम से बन्धक हो को जमा करना होगा ।
5–निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त विभागों की मांग पर वाहन आपूर्ति अनिवार्यतः करनी होगी अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा साथ ही धरोहर धनराशि को भी वापस नही किया जाएगा ।
6–निविदा को बिना कारण बताए निरस्त/आंशिक संशोधन करने का अधिकार जिलाधिकारी नैनीताल के पास निहित होगा।
7–संबंधित व्यक्ति/संस्था उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है ।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

पत्र संख्या–2137/नौ–प्रशा0अधि0नाजरात/2018 दिनांक– 22 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनपार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–सिविल जज(सी0डी0)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ।
2–कोषाधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि नियत दिनांक को उपस्थित रहने का कष्ट करें ।
3–सम्पादक दैनिक जागण/अमर उजाला उक्त निविदा का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में करनें का कष्ट करें ।
4–सूचना पट्ट जिलाकार्यालय नैनीताल/समस्त उपजिलाधिकारी कार्यालय /तहसीलदारजनपद नैनीताल ।

प्रभारी अधिकारी (नाजरात)
कृते जिलाधिकारी,नैनीताल